Development of Nagarjunasagar as a tourisT centre

1744. SHRI R. SAMBASIVA RAO: "Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Nagarjunasagar in Andhra Pradesh has the potential of being developed as one of the finest tourist resorts in the country; and

(b) if so, what steps have so far seen taken by Government to bring Nagarjunasagar on the tourist map)f India?

THE MINISTER OF STATE IN [THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI GIEIDHAR GOMANGO); (a) Yes, Sir.

(b) During the Seventh Five Year 3lan, on the basis of a proposal received from the Government of \ndhra Pradesh, the Central Ministry)f Tourism sanctioned Rs. 23.70 lakhs or construction of a Cafeteria with ccommodation at Nagarjunasagar.

फसल बीमा योजना की प्रगति

1745. **श्री रोमा इर्राडेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई तथा इस स्कीम के विस्तार के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) इस स्कीम अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान खरीफ की फसल के लिए गुजरात तथा अन्य राज्यों को कितना-कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अनुरोध किया है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए 23 सितम्बर 1987 के ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो यह निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

कृषि संराालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I [देखिये परिशिष्ट CXLV अनुपत्र सं० 71) में दिया गया है । यह योजना स्वैच्छिक है । इसके अलावा, यह केवल उन्हीं इलाकों में कार्यान्वित की जा सकती है जहां किसी विशिष्ट फसल के पिछले 5 वर्षों के उपज संबंधी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई संबंधी कम से कम 16 प्रयोग करना सम्भव हो सकेगा । इसलिए इस योजना का क्षेत्रवार विस्तार सीमित है । तथापि, इस योजना को और अधिक आकर्षक तथा लाभकारी बनाने के लिए गेहूं और धान के संबंध में क्षतिपूर्ति सीमा अभी हाल ही में 80 से बढ़ाकर 90 प्रतिशत की गई है । जहां तक फसल-वार विस्तार का प्रश्न है, इस समय बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत और अधिक फसलें लाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 1986 के लिए गुजरात और अन्य राज्यों को अदा की गई क्षतिपूर्ति के दावों की राशि विवरण- में दी गई है । (नीचे देखिये) ।

(ग) गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।